रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 433] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 1986/भाद्रपद 26, 1908
No. 433] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT 17, 1986/BHADRA 26, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

सं. 428/86 सीमाशुल्क

सा.का.नि. 1086(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और

वित्त विभाग की अधिसूचना सं. 329-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में :—

(क) क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"2.	तैयार किया गया अभ्रक (जिसके अन्तर्गत डाई विद्युत अभ्रक स्ट्राइप नहीं है)।	मूल्य का 10 प्रतिशत।";

(ख) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"10.	डाई विद्युत अभ्रक स्ट्राइप।	शून्य।"।

[फा.सं. 347/3/86-टी आर यू]

गौतम रे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 17th September, 1986

NOTIFICATION

NO. 428/86. CUSTOMS

G.S.R. 1086 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in

the Department of Revenue and Banking No. 329—Customs, dated the 2nd August, 1976, namely:—

In the Table annexed to the said notification,—

(a) for Sl. No. 2 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"2.	Fabricated mica (excluding die electric mica strips).	10 per cent. ad valorem.";

(b) after Sl. No. 9 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"10.	Die electric mica strips.	Nil.".

[F. No. 347/3/86-TRU .]

GAUTAM RAY, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986